

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2020 — आश्विन 28, शक 1942

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्रमांक-28/चार/वि.स.उपचु./2019-20/2958. — छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के पत्र क्र. एफ-4-108/गृह-सी/2020 दिनांक 19-10-2020 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की अधिसूचना क्र. 7870/2624/21-ब/छ.ग./2020-दिनांक 19-10-2020 के द्वारा विधान सभा उपचुनाव 2020, (24-मरवाही, अजजा) हेतु अतिरिक्त आरक्षित सेक्टर/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की नियुक्ति कर उन्हें विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक-7870/2624/21-ब/छ.ग./2020.- राज्य सरकार, गृह विभाग के फाईल क्रमांक एफ-4-108/गृह-सी/2020 एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के जावक क्रमांक 28/चार/विसउपचु/2019-20/2884 दिनांक 16.10.2020 में प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में तथा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 7412-7413/2435/21-ब/छ.ग./2020 नवा रायपुर दिनांक 30.09.2020 के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से विधानसभा उपचुनाव-2020 (24, मरवाही, अजजा) के शांतिपूर्वक सम्पादन हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त आरक्षित सेक्टर/जोनल अधिकारियों को विधानसभा उपचुनाव सम्पन्न होने तक विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करते हुए कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करती है :-

विधानसभा उपचुनाव 2020 (24-मरवाही अजजा) अतिरिक्त आरक्षित सेक्टर/जोनल अधिकारियों हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव			
क.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	क्षेत्र के नाम जहां पर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 24- मरवाही अजजा			
1	श्री आर.के. उरांव	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	वि. स. निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही
2	श्री आर.के. खाती	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	वि. स. निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही
3	श्री टी.आर. कश्यप	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	वि. स. निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही

4	श्री शुभम शुक्ला	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	वि. स. निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही
5	श्री देवेन्द्र देवांगन	श्रम अधिकारी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	वि. स. निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही
6	श्री पवन ओझा	सहायक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	वि. स. निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही
7	श्री एन.के. मिंज	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	वि. स. निर्वाचन क्षेत्र-24-मरवाही

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.